P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-3* November- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

वस्तु एवं सेवाकर परिदृश्य एवं चुनौती
Goods and Services Tax Scenario and Challenge

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 27/11/2020, Date of Publication: 28/11/2020

पुष्पेन्द्र कुमार
शोद्यार्थी
वाणिज्य विभाग,
जे.वी.जैन कॉलेज,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

संसार में भारत को करों के जंजाल का देश कहा जाता था। व्यापारी और निवेशक करों के जंजाल एवं जाने–अनजाने में अनावश्यक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों से असंतुष्ट थे। एक ही वस्तु पर कई–कई बार कर लगने के कारण वस्तुओं की लागत बढ जाती थी। भारत जैसे विविधता वाले देश में 'एक देश एक कर' की व्यवस्था 01 जुलाई 2017 से लागू हो चुकी है। व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, राज्य वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम तथा संघ–शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम लागू हो चुके हैं। सम्पूर्ण भारत में एक ही कर व्यवस्था लागू है। अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवाकर में समाहित कर दिया गया है। अब व्यक्ति किसी भी राज्य में क्रय–विक्रय करे सभी जगह एक ही कर देना है। वस्तु एवं सेवाकर की दरें 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% की दरें लागू है जो वस्तुओं और सेवाओं के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखकर लागू की गयी है। वस्तु एवं सेवाकर के लागू होने के उपरान्त व्यापारी वर्ग निवेशक वर्ग एव भारतीय नागरिकों ने करों के जंजाल एवं कर अधिकारियों की लालफीताशाही से स्वंय को स्वतंत्र महसूस किया है। वस्तु एवं सेवाकर को महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

India was called the land of taxes in the world. Traders and investors were dissatisfied with the authorities who took the unnecessary and unnecessary actions of taxes. The cost of goods used to increase due to multiple taxes on the same item. The system of 'one country one tax' has come into effect from 01 July 2017 in a diversified country like India. For the successful implementation of the system, the Central Goods and Services Tax Act, State Goods and Services Tax Act, Integrated Goods and Services Tax Act and Union Territory Goods and Services Tax Act have been implemented. The same tax system is applicable all over India. All other indirect taxes have been absorbed into the Goods and Services Tax. Now the person has to pay the same tax everywhere in any state. Goods and service tax rates 0: 5: 12: 18: 18 and 28 are applicable keeping in mind the importance and utility of goods and services. After the introduction of the Goods and Services Tax, the business class, investor class and Indian citizens have felt free from the misery of taxes and red-tapism of the tax authorities. The Goods and Services Tax is seen as a significant tax reform.

मुख्य शब्द : करों का जंजाल, एक देश एक कर, अप्रत्यक्षकर, वस्तु एवं सेवाकर, लालफीताशाही, कर सुधार, समाहित।

प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवाकर से पूर्व अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत बिक्रीकर, व्यापारकर, उत्पादनकर, कस्टम ड्यूटी, प्रवेशकर, चुंगी, विज्ञापनकर, मंनोरंजनकर जैसे अनेको तरह–तरह के कर वसूल किये जाते थे। सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी सीमाओं के अन्तर्गत क्रय–विक्रय एवं उत्पाद वस्तुओं पर निर्धारित विधि से चाहे जितना कर लाये। इस कारण एक देश होते हुए भी प्रत्येक प्रदेश मे करों की व्यवस्था में भिन्नता थी। करारोपण के द्वारा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर जनहित में किया जाता है। कराधान समाज में व्याप्त अमीरी–गरीबी के बीच संतुलन बनाये रखने का महत्वपूर्ण उपकरण है। संविधान द्वारा सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। संविधान के

केन्द्र और राज्यों को अलग–अलग कर लगाने के अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत संसद एवं राज्य विधान मण्डलों के मध्य कराधान सहित विधायी शक्तियों का वितरण करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर ही 'एक राष्ट्र एक कर' की संकल्पना के साथ वस्तु एवं सेवाकर लागू किया गया है।

वस्तु एवं सेवाकर

'वस्तु एवं सेवाकर एक मूल्य सवंर्द्धित अप्रत्यक्ष कर है जो माल एवं सेवाओं के निर्माण (उत्पादन), पूर्ति एवं उपभोग के अन्तिम चरण में लगाया जाता है।''

संविधान के अनुच्छेद 366 (12A) में वस्तु एवं सेवाकर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है

''वस्तु एवं सेवाकर का आश्य माल या सेवाओं या करारोपण से है, केवल मानवीय उपभोग के लिए मदिरा (शराब) पर करों को छोडकर।

माल–वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(7) के अन्तर्गत

''माल में अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति शामिल है तथा इसके अन्तर्गत आते हैं–स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी भाग रूप ऐसी चीजें, जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से अलग किये जाने का अनुबन्ध किया गया है।''

सेवाएं

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(102) के अनुसार– सेवा का अर्थ उन सभी चीजों से है, जो माल, मुद्रा या प्रतिभूतियॉ नहीं है। सेवा में ऐसी सभी गतिविधियॉ शामिल है, जो मुद्रा के प्रयोग एवं उसके रोकड या अन्य किसी रूप में एक करेन्सी से दूसरी अथवा एक डिनोमिनेशन से दूसरे में परिवर्तनीय है जिसके लिए प्रतिफल वसूल किया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है जो कि माल अथवा सेवाओं का उपभोग करते है। अप्रत्यक्ष कर संग्रह अपेक्षाकृत सरल है औरं संग्रहण लागत भी कम आती है। अभी तक अप्रत्यक्ष कर के ऊपर जो शोध कार्य हुआ है उसमें मुख्यतः डा0 योगेन्द्र कुमार बांगड ने सेवाकर का परिचय, सेवाकर प्रशासन, सेवाओं का वर्गीकरण व सेवाकर रजिस्ट्रशन पर प्रकाश डाला है। डा0 संदीप कुमार ने भारत सरकार की राजकोषीय आय में सेवाकर का योगदान एवं समस्याओं पर शोधकार्य किया है। डा0 अनिरूद्ध मित्तल द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और अप्रत्यक्ष कर का योगदान पर शोध कार्य किया गया है। भारत में 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर लागू हुआ है शोद्यार्थी का अपना विचार है कि अप्रत्यक्ष कर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्वतन्त्रता के बाद भारत के अप्रत्यक्ष कर ढॉचे में यह सबसे बडा सुधार है जिसका लाभ सामान्य व्यक्ति को हुआ है। वस्तु एवं सेवाकर के लागू होने से दोहरे करारोपण की समस्या अर्थात करारोपण के कैशकेडिंग प्रभाव समाप्त हो गया है। वस्तु एवं सेवाकर के समुचित कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना भी करना पडा रहा है।

वस्तु एवं सेवाकर की संवैधानिक स्थिति

वस्तु एवं सेवाकर से पूर्ववर्ती व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार केवल माल की उत्पत्ति बिंदु पर कर लगा सकती थी विक्रय पर नहीं, राज्यों को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं एंव सेवाओं को समाहित कर लिया गया था। 19 दिसम्बर 2014 को वस्तु एवं सेवाकर से सम्बन्धित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जिसके फलस्वरूप 122 वॉ संशोधन संविधान (101 वॉ संशोधन) संशोधन अधिनियम 2016 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के कारण भारत में वस्तु एवं सेवाकर लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

साहित्य का पुर्नावलोकन (Review of Litrature)

भारत में वस्तु एवं सेवाकर की विकास यात्रा

वर्ष	विवरण
2000	पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में विशेष अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।
2002	श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवाकर पर विचार करने के लिएएक टास्कफोर्स का गठन किया गया।
2003	श्री केलकर टास्कफोर्स ने वैट सिद्धान्तों पर आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवाकर की प्रणाली का सुझाव दिया।
2004	श्री विजय केलकर की समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की
2005	वर्ष 2005–06 के केन्द्रीय बजट सत्र में वस्तु एवं सेवाकर पर चर्चा हुई।
2006	फरवरी माह में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 01 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
2007	केन्द्रीय बजट सत्र में पुनः 01 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने की अन्तिम तिथि घोषित की गई।
2008	वर्ष 2008–09 के बजट सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री पी0 चिदम्बरम ने घोषणा की कि वस्तु एवं सेवाकर के सम्बन्ध में पर्याप्त तैयारी कर ली गयी है और इसे लागू करने का समय 01 अप्रैल 2010 ही रहेगा।
2009	जुलाई माह मे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के द्वारा भी वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने की तिथि 01अप्रैल 2010 बतायी गई।

	नवम्बर माह में असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति ने पहला चर्चा पत्र प्रस्तुत करके वस्तु एवं सेवाकर पर सभी की राय जाननी चाही।
2010	वाणिज्य विभाग को कम्प्यूटराइज्ड करने की व्यवस्था हुई एवं वस्तु एवं सेवाकर लागू करने की तिथि एक वर्ष आगे बढा दी गई।
2011	मार्च माह में सरकार द्वारा संविधान (115वां संशोधन) विधेयक 2011 के अधीन केन्द्र और राज्यों को समवर्ती करारोपण की शक्तियों के साथ प्रस्तुत किया गया। इस संशोधन में वस्तु एवं सेवाकर परिषद तथा विवाद निपटान प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित था।
2012	जून माह मे प्रवर समिति ने विधेयक पर चर्चा की। नवम्बर माह में केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों और उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सम्मिलित करते हुए वस्तु एवं सेवाकर के प्रारूप के लिए समिति गठित की गयी।
2013	जनवरी माह में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फरवरी माह में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए रू0 9000 करोड की घोषणा की और राज्यों से कर सुधार हेतु सहयोग देने की अपील की। मार्चमाह में वस्तु एवं सेवाकर परिषद के गठन को अनुमति प्रदान की। अगस्त माह में प्रवर समिति ने संशाधन हेतु सुझाव दिये। अक्टूबर में गुजरात राज्य ने राजस्व हानि के कारण विरोध किया नवम्बर माह में संशोधन विधेयक में आवश्यक परिवर्तन किये गये
2014	मई माह में 115 वॉ संशोधन विधेयक कालबाधित होने के कारण स्वतः समाप्त हो गया। जून माह में संविधान संशोधन विधेयक अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया। दिसम्बर माह में संविधान (122 वॉ संशोधन) विधेयक 2014 स्टैण्डिंग कमेटी को भेजने की मांग की गयी।
2015	फरवरी माह में तत्कालीन वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट भाषण में संकेत दिया कि वह वस्तु एवं सेवाकर को 01अप्रैल 2016 से लागू करना चाह रहे हैं। मई माह में विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया।
2016	जून माह मे वित्तमंत्री द्वारा वस्तु एवं सेवाकर का आदर्श कानून प्रस्तुत कर दिया। सितम्बर माह तक अपेक्षित 50% राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया था। अतः 08 सितम्बर 2016 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।
2017	संसद और माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात विधेयक पारित किये गये जिन्होने अधिनियम का स्थान ले लिया जैसे– केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 राज्य वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 संघशासित प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 भारत में 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर लागू हो गया।

वस्तु एवं सेवाकर में समाहित अप्रत्यक्ष कर

वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली के लागू होने के पश्चात पूर्व में प्रचलित अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवाकर में समाहित कर दिया है इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

केन्द्रीयकर

निम्न कर जो पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाते थे, अब वस्तु एवं सेवाकर में समाहित हो गये हैं–

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. उत्पाद शुल्क (औषधिक एवं प्रसाधन उत्पाद)
3. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
4. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद)
5. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सी.वी.डी.)
6. विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
7. सेवाकर
8. केन्द्रीय उपकर एवं अधिभार

राज्य–कर

निम्न कर जो पूर्व में राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाते थे अब वस्तु एवं सेवाकर में समाहित हो गये हैंः–

1. राज्य मूल्यवर्द्धित कर
2. केन्द्रीय बिक्रीकर
3. क्रयकर
4. विलासिता कर
5. प्रवेश कर
6. मनोरंजन कर
7. विज्ञापनों पर कर
8. लॉटरी, शर्त, जुआ आदि पर कर
9. राज्य उपकर एवं अधिभार

अध्ययन के उद्देश्य

1. वस्तु एवं सेवाकर, कराधान व्यवस्था की गहराई से अध्ययन करना।
2. वस्तु एवं सेवाकर के इतिहास को जानना।

3. वस्तु एवं सेवाकार के लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए।
4. भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के कराधान की स्थिति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए।
5. वस्तु एवं सेवाकर आधारित कराधान प्रणाली पर अनुसंधान के लिए जानकारी प्रस्तुत करना।

अनुसंधान क्रिया विधि

यह एक वैचारिक फ्रेमवर्क अनुसंधान है। सम्पूर्ण अनुसंधान क्रिया विधि द्वितीयक आंकडो पर आधारित है जिसमें सरकारी वेबसाइट, विभिन्न पत्रिका और लेख प्रकाशन और शोधपत्र सम्मिलित है।

अध्ययन का दायरा

यह शोधपत्र देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तु एंव सेवाकर के क्रियान्वयन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवाकर के लागू होने के पश्चात कर दरो के साथ एकता आएगी और यह भारतीय कराधान प्रणाली में अप्रत्यक्ष कराधान के सम्बन्ध में आने वाली कमियां एवं बाधाओं को दूर करेगी। वस्तु एवं सेवाकर निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के लिए अत्याधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

भारत में वस्तु एवं सेवाकर की आवश्यकता

भारत को भी मेक इन इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया जैसी परियोजनाओं को लागू करना एवं उन्हे सफल बनाना है। रोजगार के अवसर सृजित करने है, राजस्व में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं के दूरगामी हितों को ध्यान में रखना है ये तभी सम्भव है जब बाहर से निवेशक आकर्षित हों। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें बाधा रहित बाजार उपलब्ध कराने तथा करों के जंजाल से मुक्त करने के उददेश्य से वस्तु एवं सेवाकर लागू किया गया।

वस्तु एवं सेवाकर के लाभ

1. व्यवसाय करना सरल
2. एक कर एक दाम
3. कर विवादों में कमी
4. कीमतों में कमी
5. जी.डी.पी. में वृद्धि
6. प्रतिस्पर्द्धा में सुधार
7. कर प्रशासन में सुविधा
8. केन्द्र व राज्यों के बीच पारदर्शिता
9. परिवहन व्यवस्था सुगम
10. निर्यात का बढावा

वस्तु एवं सेवाकर लागू होने की चुनौती

भारत में वस्तु एवं सेवाकर कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं

करों की प्रकृति

भारत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और अन्य राज्य स्तरीय, विभिन्न कर है जिन्हें वस्तु एवं सेवाकर में समाहित किया गया। लेकिन अभी भी बहुत से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुछ कर वस्तु एवं सेवाकर के दायरे से बाहर हैं।

वस्तु एवं सेवाकर के विभिन्न स्वरूप

वस्तु एवं सेवाकर के विभिन्न स्वरूप होने के कारण करदाता को ज्ञान नही होता कि किस परिस्थिति में उसे कौन सा कर चुकाना है।

कर की दर

कर की दरों को पूरी तरह से अन्तिम रूप से नही दिया गया है और लोगों के जीवन स्तर आदि को देखते हुए बहुत अधिक काम किया जाना शेष है।

कर प्रबंधन और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा

यह अत्यंत आवश्यक है कि उचित नीतियों और योजना को लागू करने के लिए कर और बुनियादी ढांचे के उचित प्रबन्धन की आवश्यकता है।

वस्तु एवं सेवाकर परिषद

भारत में वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली के कार्यान्वयन को सरल बनाने एवं दिन प्रतिदिन आने वाली बाधा के समाधान, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की बात या राय सुनने तथा समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवाकर सम्बन्धी विषयों पर सलाह देने के लिए जी.एस.टी परिषद का गठन किया गया है।

वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क

यह अलाभकारी, गैर सरकारी, एक निजी कम्पनी है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यह कम्पनी अपने कॉमन पोर्टल के माध्यम से करदाताओं को पंजीयन, कर की गणना, कर भुगतान, विवरणी भरना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी कर सम्बन्धी सूचनाओ का रख रखाव करती है।

निष्कर्ष

मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवाकर की आवधारणा को कुछ वर्ष पूर्व भारत में प्रस्तुत एवं प्रस्तावित किया गया था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 01 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया है। नई सरकार भारत में जीएसटी के क्रियान्वयन के पक्ष में थी, जिसमें कई सकारात्मक निहितार्थ देखने को मिले। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के सभी सेवा, टेलाकॉम, ऑटोमोबाइल, और एसएमई जीएसटी के प्रभाव को सहन करेगें। जीएसटी सबसे बडे कर सुधार से एकल कराधान प्रणाली दर के अन्तर्गत पूरे देश को एक सूत्र में बांध देगा। जैसा कि विशेषज्ञो के द्वारा बताया गया। जीएसटी कर संग्रह में सुधार करेगा एवं भारत के आर्थिक विकास को बढावा देगा और केन्द्र और राज्य सरकार के बीच सभी कर बाधाओं को समाप्त कर देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीएसटी भारत को स्पष्ट एवं पारदर्शी कराधान प्रणाली देगा। लेकिन यह विभिन्न चुनौतियों से घिरा हुआ है जैसा कि इस शोधपत्र मे चर्चा की गयी है। सफल कार्यान्वयन के लिए अधिक विश्लेषणात्मक आधारित अनुसंधान की आवश्यकता है।

अध्ययन की सीमा और भविष्य के शोध का दायरा

अध्ययन की सीमा निम्न हैः–

1. वस्तु एवं सेवाकर अभी भी परिपक्वता के दौर में है इसलिए कर की दर को अन्तिम रूप देने और नई दरो को लागू करने विषय ने वस्तु एवं सेवाकर

परिषद की बैठक के माध्यम से कर–सुधार समय–समय पर किया जा सकता है।

2. अधिकांश कागजों में उदघृत डेटा खोजपूर्ण प्रकृति का होने के कारण वस्तु एवं सेवाकर परिषद की बैठकें हो रही है और अभी भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।
3. अन्तिम निष्कर्ष अलग–अलग धाराओं को देखते हुए भिन्न हो सकते हैं।

वस्तु एवं सेवाकर के लागू होने के पश्चात कराघान प्रणाली की सफल कार्यान्वयन के वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित अवसंरचना की आवश्यकता है इसके साथ जीएसटी परिषद ने कर प्रतिबिम्बों में बदलाव के लिए आवश्यक बैठके आयोजित की है। इन क्षेत्रों को भविष्य के अध्ययनों में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

Refrences

1. *Aggarwal B.K. Pages 9-63*
2. *Chakraborty P&K.*
3. *Garg G. (2014) Basic concepts and features of goods and service tax in India.Girish Garg vol2, issue 2 pages 542-549.*
4. *Goods and service tax (GST) in India- challenges ahead, Feb 28, 2016*
5. *GST in India: A key tax reform, IJRG Dec 2016 Vol 3, issue 12 page 133-141*
6. *A research paper on an impact of goods and services tax on Indian Economy, Business and Economic Journal, Danibus 2016*
7. *GST impact in manufacturing sector by SKP.*
8. *www. cbic.com*
9. *www.gstcouncil.gov.in*
10. *www.gst.ac.in*